बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९।

भारत शासन विधान १९३५ के प्रत्यावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा-वेश्म में बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९ को ११-३० बजे पूर्वान्ह में माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुई :

श्री झुलस सिंह : गया में बीज आम २॥) प्रति सैकड़ा खरीदा गया तो भागलपुर में ७ रु० प्रति सैकड़ा क्यों खरीदा गया ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : यह तो बाजार भाव पर निर्भर करता है : tender मंगाया जाता है और सब से कम भाव को मंजूर किया जाता है ।

श्री झूलन सिंह ; इससे भी तो कम rate है चार रुपया ?

माननीय प्रमुख : Maximum ८॥) रुपया है ।

श्री झूलन सिंह : क्या यह बात सही है कि गया सेन्ट्रल जेल में भूसा ३ रुपये १२ आने फी मन की दर से खरीदा गया और भागलपुर सेन्ट्रल जेल में ठीक उससे दूने दाम पर यानी ७ रुपये ८ आने फी मन की दर से खरीदा गया है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : यह सब चीजें टेण्डर कौल करके खरीदी जाती है । जिसका लोयेस्ट टेण्डर रहता है उसी को सरकार मंजूर करती है ।

श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या यह बात ठीक है कि भागलपुर जेल को पैदावार गया जेल से ज्यादा है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : पैदावार पर कोई सवाल नहीं उठती है ।

१८७ । श्री रामबसावन राम : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हजारीबाग, गया, बक्सर और भागलपुर सेन्ट्रल जेलों में १९४९ में दतवन किस दर में खरीदा जा रहा है ?

माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह :

विवरण मेज पर रखा है ।

	दतवन ।
हजारीबाग सेन्ट्रल जेल	१ रुपया १४ आने फी हजार ।
बक्सर सेन्ट्रल जेल	२ रुपये ८ आने से २ रुपये १२ आने फी हजार
भागलपुर सेंट्रल जेल	६ रुपए ८ आने फी हजार ।
गया सेन्ट्रल जेल	१ रुपए १२ आने फी हजार ।

अन्य चीजों की तरह दतवन की टेण्डर मांग कर और सस्ते दरोंपर प्राप्त करने के लिये डाक बोल कर, खरीद की जाती है और सुपरिंटेण्डेन्ट सब से कम दर का अनुमोदन करते हैं ।

भागलपुर शहर के आस-पास पहाड़ी इलाके तथा जंगल न रहने के कारण, जेल की मांग के अनुसार हर रोज दतवन सस्ते दर पर नहीं मिल सकता है ।

श्री झूलन सिंह : क्या कारण है कि भागलपुर सेन्ट्रल जेल में दतवन ६ रुपए ८ आने फी हजार और गया सेन्ट्रल जेल में १ रुपए १२ आने फी हजार मिलता है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय : गया जंगल से नजदीक है और भागलपुर जंगल से सदूर है ।

श्री झूलन सिंह : क्या भागलपुर सेन्ट्रल जेल के सुपरिंटेण्डेन्ट की बदइन्तजामी कारण है ?

माननीय प्रमुख : यह प्रश्न नहीं उठता है ।

१८८ । श्री रामवसावन राम : क्या माननीय प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) विगत अप्रैल से जून मास तक बक्सर और भागलपुर सेन्ट्रल जेल के उच्च एवं निम्न कोटियों के कैदियों की औसत आबादी कितनी थी ?

(ख) उस समय इन दोनों जेलों में प्रति कैदी कितना खर्च था ?

(ग) क्या यह सच है कि भागलपुर सेन्ट्रल जेल का भरण-पोषण परिव्यय बक्सर सेन्ट्रल जेल से दुगुना है ?

(घ) यदि खन्ड (ग) का उत्तर 'हां' में हो तो इसके कारण क्या है और क्या सरकार इस मामले की जांच-पड़ताल कराना चाहती है ?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

(क) भागलपुर और बक्सर सेन्ट्रल जेल में उच्च और निम्न कोटि के कैदियों की औसत संख्या प्रति दिन निम्नलिखित है—

	उच्च कोटि के कैदी।	साधारण (तीसरे कोटि के कैदी।	कुल योग।
भागलपुर सेन्ट्रल जेल	३८,९६	२१७६,६८	२,२१६
बक्सर सेन्ट्रल जेल	१	१२०३	१२०४

(ख) अप्रैल, १९४९ से जून, १९४९ के लिये सभी वर्गों के कैदियो के प्रति रोज का दैनिक औसत परिव्यय निम्नलिखित है—

भागलपुर सेन्ट्रल जेल १ रुपए १२ आने ५ पाई।
बक्सर सेंट्रल जेल १ रुपया ३ आना ९ पाई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जांच-पड़ताल का प्रश्न ही नहीं आता ।

जेल के ठीकेदारों से बेयाना और जमानत की स्वीकृति ।

१८९ । श्री जयनारायण विनीत : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) जेल के ठीकेदारों से सरकार किस दर से बेयाना और जमानत स्वीकार करती है ?

(ख) जनवरी १९४८ से जुलाई १९४९ के बीच भागलपुर सेन्ट्रल जेल से निम्नलिखित चीजों पर कितना बेयाना लिया गया ?

माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह :

(क) टेण्डर के साथ ठीकेदार द्वारा दिया गया दरसे प्रदाय (सप्लाई) की कुल कीमत पर लगभग २॥ प्रतिशत के हिसाबसे बेयाना वसूल किया जाता है। ठीकेदार से उसका टेण्डर मंजूर कर लिये जाने पर कुल आपूर्ति (सप्लाई) का १० प्रतिशत जमानत वसूल किया जाता है । कुल मामलों में जहां कारोबार का मूल्य नहीं जाना रहता है वहां आमतौर से एक मुस्त रकम निश्चित कर दी जाती है, जैसा कि ट्रान्सपोर्ट में—

(ख) और (ग) मांगी गई सूचनाओंका विवरण कारण सहित मेजपर रखा हुआ है